

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2008 सत्र)

(दिनांक 07 जुलाई, 2008 से 11 जुलाई, 2008 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
वर्ग – 1					
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	07 जुलाई, 2008	13 जून, 2008		
जन शिकायत निवारण	“				
ऊर्जा	“				
जनसंपर्क	“				
विमानन	“				
खनिज साधन	“				
वित्त	“				
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	“				
सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायो टेक्नॉलोजी	“				
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री				
संसदीय कार्य	“				
स्कूल शिक्षा	“				
महिला एवं बाल विकास	राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास				
समाज कल्याण	“				
बीस सूत्र कार्यान्वयन	“				
वर्ग – 2					
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	राजस्व मंत्री	08 जुलाई, 2008	16 जून, 2008		
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	“				
विधि एवं विधायी कार्य	“				
संस्कृति	“				
पर्यटन	“				
वन	“				
खेल एवं युवक कल्याण	“				
आवास एवं पर्यावरण	आवास एवं पर्यावरण मंत्री				
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	“				
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राज्यमंत्री, खाद्य				
वर्ग – 3					
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री			09 जुलाई, 2008	16 जून, 2008
वाणिज्यिक कर	“				
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	“				
चिकित्सा शिक्षा	“				
उच्च शिक्षा	राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा				
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	“				
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	“				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
ग्रामोद्योग	“				

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग — 4			
कृषि	कृषि मंत्री	10 जुलाई, 2008	17 जून, 2008
पशुपालन	"		
मछली पालन	"		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
आयाकट	"		
श्रम	"		
परिवहन	"		
वर्ग — 5			
गृह	गृह मंत्री	11 जुलाई, 2008	19 जून, 2008
जेल	"		
सहकारिता	"		
लोक निर्माण	राज्यमंत्री, लोक निर्माण		
वाणिज्य एवं उद्योग	"		
सार्वजनिक उपक्रम	"		

- नोट :-
- विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये विभागों के संपूर्ण वर्ग को लागू होंगे.
 - सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में कार्यालय समय में प्राप्त की जावेगी.
 - प्रश्नों की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी.
 - फैक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएगी.

रायपुर :

दिनांक : 10 जून, 2008

देवेन्द्र वर्मा

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पृ.क्र. / वि.स. / प्रश्न / 2008

रायपुर, दिनांक : 10 जून, 2008

प्रतिलिपि :-

- समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

देवेन्द्र वर्मा

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधानसभा